



छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

क्रमांक

/वि.स./स्था./2020

रायपुर, दिनांक / /2020

//कार्यालय-आदेश//

आदेशानुसार, कोविड -19 की वजह से अधिकारियों की उपस्थिति शत प्रतिशत एवं तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की उपस्थिति सप्ताहिक रोस्टर के हिसाब से 50 प्रतिशत उपस्थिति से कार्य करने हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक 11212/वि.स./स्था./2020 दिनांक 29.10.2020 जारी किया गया था।

वर्तमान में राज्य में जारी अनलॉक की प्रक्रिया जारी है जिसे ध्यान में रखते हुए विधान सभा सचिवालय में सभी अधिकारी एवं कर्मचारी दिनांक 17.11.2020 से शत प्रतिशत उपस्थित रहकर सचिवालय का कार्य संचालित करेंगे।

कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु Social Distancing अनिवार्य है।

अतः संक्रमण से बचाव की दृष्टि से कार्यालय आने-जाने हेतु यथा संभव स्वयं के वाहन से ही आने की सलाह दी जाती है। साथ ही कोविड-19 से बचाव/रोकथाम हेतु शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों का भी समस्त अधिकारी/कर्मचारी पालन सुनिश्चित करें।

आदेश से,

अपर सचिव,

छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर, दिनांक 11/11/2020

11576

पृ.क्रमांक /वि.स./स्था./2020

प्रतिलिपि

01. मान. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा, के सचिव को मान. अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
02. मा. नेता प्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा के विशेष सहायक को मा. नेता प्रतिपक्ष महोदय के सूचनार्थ।
03. मा.उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा के निज सहायक को मा. उपाध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ
04. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, के स्टॉफ ऑफिसर को प्रमुख सचिव महोदय के सूचनार्थ।
05. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही।
06. सर्वर कक्ष।

उप सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा